



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21206

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन, अं/धा 528 भा.ना.सु.सं., सं. 1153 वर्ष 2026

रवि कुमार उर्फ रवि कुमार अग्रवाल एवं एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: प्रभु शरण, दिव्यानी मिश्रा

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

: शा. अ.

न्यायालय सं. - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. अधिवक्ता श्री वैभव मिश्रा, विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके उपस्थिति हुए हैं, और इसे अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री वैभव मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रस्तुत आवेदन, भा.न्या.सं., 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351(2) (धारा 498-क, 323, 504, 506, भा.दं.सं. के सदृश), पुलिस थाना- कोतवाली नगर, जिला- सुल्तानपुर के अधीन, वाद अपराध सं. 0795/2025 दिनांक 22.10.2025 से उत्पन्न, विद्वान् मु.न्या.म., सुल्तानपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक वाद सं. 1432 वर्ष 2026 को, और समन आदेश दिनांक 26.02.2026 सहित, आरोप-पत्र दिनांक 23.10.2025 को निरस्त करने के लिए दाखिल किया गया है।

4. आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं और प्रस्तुत वाद में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि कुछ गलतफहमी के कारण, आवेदकगण के विरुद्ध यह प्र.सू.रि.दर्ज कराई गई है, और तत्पश्चात्, पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का समझौता कर लिया है। समझौता विलेख, 13.03.2026 को लिखा गया था, जिसे प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्नक सं. 4 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने अग्रेतर कहा है कि अब पक्षकारों के बीच एकदूसरे के प्रति कोई परिवाद नहीं है, और अब आवेदकगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां एक निरर्थक कार्य है, क्योंकि वाद का कोई परिणाम नहीं है, और यह आवेदकगण के उत्पीड़न के समान है, और इस प्रकार, आवेदकगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां निरस्त की जाएं।

5. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और निवेदित किया है कि पक्षकारों ने एक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समझौता-विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया है और वर्तमान आवेदकगण के विरुद्ध विरोधी पक्षकारों का अग्रेतर कोई परिवाद नहीं है, और आवेदकगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही समाप्त की जाएं।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अ.शा.अ. को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब, क्या पक्षकारों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसे सर्वोत्तम रूप से अवर न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते का सत्यापन न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में सम्यक् रूप से किया जाना चाहिए।

8. तदनुसार, संबंधित न्यायालय को यह निदेश देने के साथ इस आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता दाखिल किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता सभी व्यक्तियों को, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित करते हुए, नोटिस जारी करेगा, और तत्पश्चात्, समझौते के सत्यापन की कार्यवाही करेगा। यदि उपर्युक्त समझौते का सत्यापन हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा।

9. ऐसी स्थिति में, न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित-प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और आवेदकगण कार्यवाही निरस्त करवाने के लिए पुनः इस न्यायालय उपागम करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. तीन महीने की अवधि के लिए, भा.न्या.सं., 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351(2) (धारा 498-क, 323, 504, 506, भा.दं.सं. के सदृश), पुलिस थाना-कोतवाली नगर, जिला-सुल्तानपुर के अधीन, वाद अपराध सं. 0795/2025 दिनांक 22.10.2025 से उत्पन्न, विद्वान् मु.न्या.म., सुल्तानपुर की न्यायालय में लंबित दांडिक वाद सं. 1432 वर्ष 2026, और समन आदेश दिनांक 26.02.2026 सहित, आरोप-पत्र दिनांक 23.10.2025 के अनुसरण में आरंभ की गई कार्यवाहियां, जहां तक आवेदकगण का संबंध है, स्थगित रहेंगी।

11. विचारण न्यायालय को इस तथ्य की परीक्षा करने के लिए निदेशित किया जाता है कि क्या सभी पक्षकार, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में पक्षकार हैं, और इस संबंध में, न्यायालय सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

12. कार्यालय को, मूल समझौता-विलेख, यदि कोई है, तो उसकी एक फोटोप्रति लेने के पश्चात्, उसे आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता को लौटाने के लिए निदेशित किया जाता है।

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

वी. सिन्हा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”